

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)




रामगोपाल

बनाम

रामपाल वगै०

2025/1086


किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अ० धारा 251 (क) राज० का० अधि० मु०नं० 582 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

<p>रीख म</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>03-09-2025</p>	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। आवेदक/प्रार्थी की ओर से श्री धर्मवीर यादव एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में रास्ते के संबंध में जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर एवं अप्रार्थीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 03.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>राजवीर सिंह यादव</b>          उपखण्ड अधिकारी          नीमकाथाना (सीकर)       </p> <p style="text-align: center;">         पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थ          P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है          पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03/10/25          को पेश हों।       </p> <p>27/10/25</p> <p>वकील जर्गी ने प्रपत्र बिदा कले हेतु प्रपत्र पत्र मिसल तलबी पैरा कले पर पत्रावली नियत तारीख पैरा से पूर्व आज तलब की गई। वकील जर्गी ने प्रपत्र पैरा पर निवेदन किया कि जर्गी प्रपत्र को मागे नहीं चलाता चाहता है। अतः प्रपत्र को बिदा कले की रूपा में। वकील जर्गी का प्रपत्र बाका बिदा कले न्यायालय में स्वीकार कर प्रपत्र U/S 251 (क) RT Act की तलब पर प्रपत्र किया जाता है। पत्रावली केसल सुमार होकर नम्बर से कम</p>	<p></p> <p></p>



है तथा बाद तकमील दायित्व दफ्तार है। निर्णय छले

न्यायालय में सुनाया गया।

  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नगरपालिका (सीकर)